न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —01/2020

अनवान : —

1. महेन्द्रपाल पुत्र मामराज जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 17/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 465/439 के मु0 न0 266, 261, 300, 301 की कुल 11.22010है0 कृषी भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि कृषी भूमि में प्रार्थी नाम विरासतन दर्ज करते समय सवंहन से महेन्द्रसिंह दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम महेन्द्रपाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज महेन्द्रपाल नाम से ही है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज़ों में नाम महेन्द्रपाल ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्रपाल करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में महेन्द्रपाल पुत्र मामराज निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी 465/439 प्रदर्श 1 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 2 व चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि प्रदर्शित करवाये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी ने रोही मौजा भिरानी के खाता सं 465/439 के मु0 न0 266, 261, 300, 301 की कुल 11.22010है0 कृषी भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय सवंहन से महेन्द्रपाल की जगह महेन्द्रसिंह दर्ज हो गया। जबकि सही नाम महेन्द्रपाल है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो महेन्द्रपाल नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रोही मौजा भिरानी के खाता सं 465/439 के मु0 न0 266, 261, 300, 301 की कुल 11.22010है0 कृषी भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह की जगह सही नाम महेन्द्रपाल दर्ज किया जावें।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Note:-
रोही मौजा भिरानी के खाता स० 465/439 में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/5 हिस्सा पढ़ा जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)